अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हासिल करेंगे किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य : हीरालाल नागर

जयपुर । ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मात्र 7 माह की अल्पावधि में कुसुम सी योजना में 4386 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के एलओआई जारी कर दिए हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को धरातल पर मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ऊर्जा उपक्रमों की मजबूत साझेदारी से राजस्थान जल्द ही ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अन्य राज्यों को बिजली उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट-2024 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा गेल इंडिया के बीच 4200 करोड़ रु. के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

- **धौलपुर व रामगढ़ प्लांट को उचित दर पर होगी गैस की पर्याप्त आपूर्ति, 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा : ऊर्जा मंत्री**
- **राजस्थान ने बंडलिंग के जरिए प्रस्तुत किया सस्ती बिजली का अनूठा उदाहरण : संदीप गुप्ता**

नागर गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट-2024 में अक्षय ऊर्जा से सम्बंधित हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा गेल इंडिया के बीच 4200 करोड़ रु. के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। इस एमओयू के माध्यम से गेल इंडिया धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट व रामगढ़ में स्थापित 270.5 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयत्रों को कुशल एवं उपयुक्त क्षमता पर संचालन के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से हस्तांतरित करने की संभावनाओं को तलाषने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर गैस की सुनिश्चित आपूर्ति करेगा। साथ ही, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो सकेंगी। इसके माध्यम से 4200 करोड़ रूपए का निवेष होगा। गेल इंडिया की तरफ से कंपनी के कार्यकारी निदेशक श्री सुमित किशोर एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री देवेंद्र श्रृंगी ने हस्ताक्षर किये।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश का पष्चिमी भू-भाग राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस समिट में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुडे हितधारक अपने सुझावों व समस्याओं को साझा करेंगे। उनके उचित सुझावों एवं समस्याओं पर सरकार सहानभूति से विचार करेगी और आवश्यक होने पर नीतिगत बदलाव भी करेगी।

नागर ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में राजस्थान को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिल रहा है। सरकार बनने के दो माह बाद ही हमने एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सतलज जल विद्युत निगम तथा आरईसी जैसे देष के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 1 लाख 60 हजार करोड़ रूपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इससे आने वाले समय में 31 हजार 825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और प्रसारण तंत्र भी मजबूत होगा।

ऊर्जा मंत्री ने अपने हाल के दिल्ली दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर राजस्थान को केंद्र ने अपने अनावंटित कोटे से 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इसे मिलाकर वर्तमान में राजस्थान को इस विषम परिस्थिति में अनावंटित कोटे से एक हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है जिससे निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने में मदद मिली है।

नागर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को 2 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में भी भरपूर सहयोग के लिए आष्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र के कायाकल्प के लिए पूरी इच्छाशक्ति के साथ मजबूत फैसले ले रही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने स्टेक होल्डर्स के रूप में डवलपर्स, सोलर उपकरण निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों, ईपीसी कांट्रेक्टर, किसानों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्हें अक्षय ऊर्जा के विकास में भागीदार बनाया है। इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट मंशा है कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में आमजन को सहभागी बनाया जाये। उन्होंने आष्वस्त किया कि ऊर्जा विभाग इस एमओयू का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा और यह समिट एवं समझौता राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

गेल इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इन एमओयू के माध्यम से गैस प्लांट एवं अक्षय ऊर्जा की बंडलिंग कर सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने का अनूठा उदाहरण पूरे देश के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इससे प्राप्त बिजली की दर तो कम होगी ही और पीक लोड डिमांड को भी पूरा किया जा सकेगा।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है और उनके नेतृत्व में राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी ओम प्रकाश कसेरा ने कहा कि स्टेक होल्डर्स को एक ही मंच पर लाने की राज्य सरकार की अभिनव पहल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को नए आयाम प्रदान करेगी।

कार्यक्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल सहित सभी बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लगभग 900 हितधारक मौजूद थे। अधिकारियों ने हितधारकों की समस्याओं व सुझावों को पूरी गंभीरता से सुना और समाधान के लिए आश्वस्त किया। सम्मलेन की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने विधायक अमृतलाल मीणा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया

कैबिनेट मंत्री व झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा कर ''हर घर तिरंगा अभियान'' का शुभारंभ किया। वार्ड 48 की पार्षद कुमकुम शक्तावत के वार्ड कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा।

जयपुर। कैबिनेट मंत्री व झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरूवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा कर "हर घर तिरंगा अभियान" का शुभारंभ किया। वार्ड 48 की पार्षद कुमकुम शक्तावत के वार्ड कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा।

भाजपा नेता शक्ति सिंह मानपुरा ने बताया कि झोटवाड़ा विधानसभा के लोगों ने कर्नल राठौड़ को साफा-माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पार्षद कुमकुम शक्तावत, अर्चना शर्मा, विकास बारेठ, महादेव बागड़ा व सत्येन्द्र सतनाली उपस्थित थे। शक्ति सिंह ने बताया कि कर्नल राठौड़ व पार्षदों ने घर-घर जाकर तिरंगा वितरित किया। अमरनगर, जनक विहार,पश्चिम विहार, ब्रजराज एनक्लेव, गली नंबर 5 से होते हुए पार्षद कार्यालय पर सभा का आयोजन किया गया। यहां मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने 1100 तिरंगे झंड़े वितरित किए।

इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा व शांति का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में न जाने कितने ही देश भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हर घर तिरंगा अभियान उन सभी नायकों को याद करने, राष्ट्रप्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है।

माइनिंग दफ्तर व खनन क्षेत्रों में 3.75 लाख से अधिक पौधे लगाए

- **मुख्यमंत्री व खनन मंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर पहली बार हुआ व्यापक स्तर पर पौधारोपण**
- **माइनिंग सेक्टर में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, पौधारोपण में आएगी तेजी**
- **जयपुर एमई क्षेत्र में सर्वाधिक पौधारोपण, खानधारकों की भी पौधारोपण अभियान में भूमिका तय**

जयपुर । माइंस व भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनन क्षेत्रों व विभागीय कार्यालयों में व्यापक स्तर पर पौधारोपण पर बल देते हुए 3 लाख 75 हजार से अधिक पौधारोपण करवाया जा चुका है। विभाग द्वारा अपने स्तर के साथ ही माइनिंग लीज धारकों से समन्वय बनाते हुए करीब पांच लाख पौधारोपण करवाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन व मार्गदर्शन में प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में पहलीबार इतने व्यापक स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा खनिज एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाने, अवैध खनन पर कारगर रोक, वैध खनन को बढ़ावा देने, अधिक से अधिक माइनिंग प्लाट तैयार कर ऑक्शन करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर पौधारोपण पर जोर दिया जाता रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के मार्गदर्शन में माइंस विभाग मेजर मिनरल ऑक्शन से लेकर रेवेन्यू अर्जन तक प्रभावी भूमिका निभा रहा है।

आरंभिक आंकड़ों के अनुसार माइंस विभाग के 46 कार्यालयों द्वारा 2 लाख 66 हजार 297 पौधे लगवाये जा चुके हैं। इनमें सर्वाधिकएमई जयपुर के कार्यक्षेत्र में करीब 20 हजार पौधारोपण करवाया गया है। 10 हजार से अधिक पौधारोपण वाले कार्यालयों में एएमई निम्बाहेड़ा में 18207, एमई बांसवाड़ा में 17230, राजसमंद प्रथम में 16975, सोजत में 16151, मकराना में 15500, बूंदी प्रथम व द्वितीय में 15000, सिरोही में 13900, राजसमंद प्रथम में 11420, आमेट में 10802 और उदयपुर में 10000 पौधारोपण किया गया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा समूचे प्रदेश में पौधारोपण अभियान जारी है।

राजस्थान स्टेट गैस द्वारा कोटा, नीमराणा व जयपुर में करीब एक हजार पौधे वितरित किये गये हैं। राजस्थान माइंस एवं मिनरल्स द्वारा 17000 पौधे लगवाये जा चुके हैं।

माइंस विभाग ने विभागीय कार्यालयों के साथ ही माइनिंग लीजधारकों व माइनिंग क्षेत्र के एसोसिएशनों को भी पौधारोपण अभियान से जोड़ा गया है। करीब 18 माइनिंग लीजधारकों द्वारा ही एक लाख 9 हजार 200 पौधारोपण किया जा चुका है। इसमें अल्ट्राटेक द्वारा 20150, हिंदुस्तान जिंक द्वारा 17500, अंबुजा सीमेंट द्वारा 14500, वण्डर सीमेंट द्वारा 11000 सहित बिरला व्हाईट, जिंदल सॉ, जेके सीमेंट, जेएसड्ब्लू सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट, नेवेली लिग्नाइट, श्री सीमेंट, श्याम एसोसिएट्स, सिद्धि विनायक, उदयपुर सीमेंट, वीएस लिग्नाइट और मिनरल एसोसिएशनों द्वारा एक लाख 9200 पौधारोपण की सूचना है।

लोक अभियोजक के पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां देने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सत्र अदालतों में लोक अभियोजकों के पदों पर नए कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर राजनीतिक नियुक्तियां करने पर मुख्य सचिव, एसीएस गृह और प्रमुख विधि सचिव से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान अभियोजन अधिकारी संघ की याचिका पर दिया।

याचिका में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जिन राज्यों में लोक अभियोजक का पद है, वहां इन पदों को इस कैडर के अधिकारियों से ही पदोन्नति के जरिए भरा जा सकता है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में विधि विभाग की ओर से पुरानी प्रथा के अनुसार ही जिला कलेक्टर व जिला न्यायाधीश की सिफारिशों पर लोक अभियोजक के पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इन नियुक्तियों में योग्यता नहीं, बल्कि राजनीतिक संबंधों को देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में गंभीर टिप्पणी कर चुका है। गत 23 मई को अभियोजन अधिकारी संघ ने भी एसीएस गृह को पत्र लिखकर कहा था कि कानून की अवहेलना कर लोक अभियोजक व शेष लोक अभियोजकों के पदों पर नियुक्तियां नहीं करें, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उन्होंने इसका कोई जवाब दिया और ना ही पुराने प्रावधानों पर हो रही नियुक्तियों को ही स्थगित किया है। याचिका में मांग की गई कि नए कानूनी प्रावधानों के जरिए ही लोक अभियोजक व विशेष लोक अभियोजक के पदों पर नियुक्तियां की जाएं। मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

रोडवेज कार्मिकों ने किया 398 यूनिट रक्तदान

जयपुर । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने कहा कि इस तरह के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आत्मानो मोक्षार्थं जगत हिताय च की भावना को सार्थक बनाते है। उन्होंने रक्तदान को ही समाज और मानवता की अप्रतीम और सच्ची सेवा बताया। गुहा ने गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय पर राजस्थान रोडवेज रिलीफ सोसाइटी, लायंस क्लब एवं एसएमएस अस्पताल के सहयोग से आयोजित 36वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का दीप प्रज्लवन कर शुभारंभ किया। शिविर में निगम के सभी आगारों की सहभागिता से लगभग 398 कार्मिकों ने रक्तदान कर अपने सामाजिक दायित्व को पूरा किया। शिविर में कुल 398 यूनिट रक्तदान हुआ।

राजस्थान रोडवेज रिलीफ सोसाइटी के संयोजक ताराचंद जैन ने बताया कि दुर्धटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं में धायल चालाक/परिचालक एवं यात्रियों का जीवन अमूल्य है, जिनके लिये इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। जिससे किसी भी जरुरतमंद को संकट के समय रक्त उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि रोडवेज निगम में विगत 35 वर्षों से रोडवेज रिलीफ सोसाइटी द्वारा रोडवेज कार्मिकों की सहभागिता से रक्तदान शिविर आयोजित किये जा रहें है । इस अवसर पर रोडवेज की कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अनीता मीना, कार्यकारी निदेशक रवि सोनी, लायंस क्लब के अध्यक्ष अनिल जैन सहित निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

अवैध खनन को नहीं रोकने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीग की पहाड़ी तहसील में हो रहे अवैध खनन को नहीं रोकने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव, खान निदेशक, संभागीय आयुक्त, डीग कलेक्टर और एस.पी. सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता डी.डी. खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि पहाड़ी तहसील में बड़ी संख्या में अवैध खनन किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए स्थानीय निवासियों ने फरवरी, 2019 से लेकर अब तक कई बार प्रशासन और पुलिस को शिकायत की हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने यहां दौरा करके माना कि अवैध खनन हो रहा है, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच के लिए भी अधिकारियों के समक्ष गत माह अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर भी कुछ निर्णय नहीं लिया गया।

याचिका में बताया गया कि उच्च स्तर पर शिकायत करने पर यहां दबिश दी गई, लेकिन टीम के आने से पूर्व में मिलीभगत के चलते खननकर्ताओं को जानकारी मिली गई और वे फरार हो गए। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि घनी आबादी के पास खनन में विस्फोटक का उपयोग किया जाता है।

ए.सी.एस. ने मनोचिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल से संबद्ध मनोचिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके लिए आईटी एवं तकनीक आधारित सेवाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, यहां प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने गुरुवार को जयपुर के मनोचिकित्सा केंद्र का निरीक्षण एवं यहां आरएमआरएस की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश में मनोचिकित्सा का प्रमुख केंद्र है। यहां प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए, ताकि रोगियों को यहां सुगमतापूर्वक उपचार मिले। सिंह ने अस्पताल में इंटीग्रेटेड हैल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने, हर मरीज की आभा आईडी बनाए जाने तथा सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बनाए गए रामाश्रय वार्डों के साथ समन्वय कर यहां भी जीरियाट्रिक वार्ड का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ मनोचिकित्सा केंद्र को रैफरल यूनिट के रूप में विकसित करने पर बल दिया, ताकि यहां मौजूद संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

पांच जनसंपर्क कर्मियों के तबादले

जयपुर, (का.सं.)। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने गुरूवार को आदेश जारी कर पांच अधिकारियों के तबादले किये हैं। इनमें तीन सहायक निदेशक तथा एक-एक जनसंपर्क अधिकारी और सहायक जनसंपर्क अधिकारी है।

आयुक्त सुनील शर्मा की ओर से जारी आदेशानुसार सहायक निदेशक प्रमोद कुमार वैष्णव को नीमकाथाना, सहायक निदेशक वीर सेन को निर्वाचन विभाग जयपुर, सहायक निदेशक सोहन लाल को दौसा, जनसंपर्क अधिकारी आकांक्षा पालावत को नागौर व सहायक जन संपर्क अधिकारी अमृता कटारा को मुख्यालय जयपुर (सीएनडी शाखा) में लगाया गया है।

एस.एम.एस. हॉस्पिटल में बिजली गुल होने से छाया अंधेरा

एक्स-रे और सोनोग्राफी की जांच बंद हुई, ओ.पी.डी. पर्ची और बिल भी नहीं बने

- **दोपहर करीब एक बजे बिजली सप्लाई नहीं होने के कारण धनवंतरी ब्लॉक और मैन बिल्डिंग में अंधेरा हो गया**

जयपुर। राजधानी के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (एसएमएस) में गुरूवार को बिजली कटने से मरीज परेशान हो गए। धनवंतरी ओपीडी ब्लॉक में लाइट नहीं आने से कई जगह अंधेरा हो गया। वहीं, ग्राउंड फ्लोर स्थित एक्स-रे मशीनें, फर्स्ट फ्लोर स्थित सोनोग्राफी की जांच बंद हो गई। मैन पोर्च में बने सीनियर सिटीजन बिल काउंटर पर भी जांच के बिल कटने बंद हो गए। करीब एक सप्ताह पहले भी इस तरह पावर कट बांगड़ ब्लॉक में हुआ था।

आज दोपहर करीब एक बजे बिजली सप्लाई नहीं होने के कारण धनवंतरी ब्लॉक और मैन बिल्डिंग में अंधेरा हो गया। मैन बिल्डिंग में कुछ समय बाद लाइट आ गई, लेकिन ओपीडी ब्लॉक में बिजली सप्लाई आधे घंटे से ज्यादा समय तक प्रभावित रही। इस कारण न लिफ्ट चली। न ही कम्प्यूटर सिस्टम चला। मरीज भी सीढ़ियों और रैंप के जरिए ही गए।

ओपीडी ब्लॉक में बिजली सप्लाई नहीं होने से सबसे ज्यादा प्रभाव सोनोग्राफी और एक्स-रे जांच पर पड़ा। यहां मरीज आधे घंटे से ज्यादा समय तक बिजली आने का इंतजार करते रहे। थर्ड फ्लोर पर एंडोक्राइनोलॉजी ब्लॉक में तो कई मरीजों की ओपीडी पर्ची, जांच के बिल भी नहीं कट सके। क्योंकि इस डिपार्टमेंट की ओपीडी पर्ची और बिल दोनों ही थर्ड फ्लोर पर बनाए जाते है।

एसएमएस की मैन बिल्डिंग में भी बिजली गुल होने से बहुत अंधेरा हो गया। बर्न वार्ड, ब्लड बैंक सेंटर के आसपास वेंटिलेशन कम होने के कारण यहां सीढ़ियों में घना अंधेरा हो गया। वहीं, इसी ब्लॉक में वार्डों में मरीजों के एक्स-रे भी नहीं हुए। मैन बिल्डिंग में जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थो के वार्ड है, जिनमें अंधेरा हो गया।

एसएमएस के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने बताया कि इन दिनों बारिश के कारण कई जगह फॉल्ट हो जाने से बिजली जाने की समस्या आ रही है। इसे जल्द रिपेयर करवाकर वापस बिजली सुचारू कर दी जाती है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

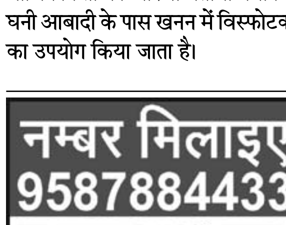

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सूचना मैं बाबूलाल यादव पुत्र रामकुंवार यादव निवासी लखेर, आमेर, जयपुर जो कि बाबू लाल यादव व उसकी पत्नी मुन्नी कुमारी यादव का उनके पुत्र विहान के शैक्षिक रिकार्ड में गलती से पिता का नाम उमेश टाटला विहान की माता मुन्नी देवी हो गया है, जिसको अब वह उमेश टाटला की जगह बाबू लाल यादव व मुन्नी देवी के स्थान पर मुन्नी कुमारी यादव करवाना चाहते हैं।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमति कृष्णा पूनिया पत्नी श्री विरेन्द्र पूनिया उम्र 46 वर्ष, निवासी 75-ए, गोम डिफेंस कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर का फ्लैट संख्या 81/बी-702, अरावली एनक्लेव, मानसरोवर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र, मूल कब्जा पत्र, मूल डिक्लेरेशन व अदेय प्रमाण पत्र के असल दस्तावेजात दिनांक 11.07.2024 को चित्रकूट स्टेडियम परिसर में रजिस्ट्री तैयार करवाते समय कहीं गुम हो गये। काफी तलाश करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुये हैं। इस संबंध में मेरी अभिभाष्या द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पुलिस थाना चित्रकूट के यहां गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है। मेरे द्वारा उक्त संपत्ति (फ्लेट) को क्रय करते समय एसबीआई बैंक से होम लोन लिया हुआ है। बैंक अभी दस्तावेजात की प्रक्रिया पूर्ण कर रहा है। इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आगामी 7 दिवस में मुझ कार्यालय से संपर्क कर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
(कुलदीप सिंह पूनियां) एडवोकेट, मो.नंबर-9413344901

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम गोविन्द कुमार माली पुत्र श्री लाला राम माली की जगह गोविन्द माली रख लिया हैं। भविष्य में मुझे गोविन्द माली के नाम से जाना जावें। पता-कृष्णपुरी, भरत मेटल्स के पास, वार्ड नम्बर 21, सिरोही, राजस्थान

मैंने मेरा नाम दिशा चंद्रप्रकाश पन्सारी से बदलकर दिशा पन्सारी रख लिया है। आगे से मुझे दिशा पन्सारी के नाम से जाना व पहचाना जावें पता ए-38बी तुलसी नगर शास्त्री नगर, जयपुर

मैंने मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल मंसूरी से बदलकर मोहम्मद इस्माइल रख लिया है। भविष्य में मुझे नये नाम से जाना जावें। पता-340 पंवार थाना आमेर के सामने, आमेर जयपुर-302028

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 254/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री कामाख्या संभव सिंह निवासी 20-सी टोंक रोड, हीरा बाग, गांधी नगर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत विद्या निकेतन एजुकेशन सोसायटी राजस्थान जयपुर कार्यालय पता 185, नेमी नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.10.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत वरिष्ठ सिविल जज एवं अपर मुख्य न्यायिक मजि. मुकाम सांभर लेक
छीतर खां बनाम लालू कुम्हार व अन्य
स्थाई निषेधाज्ञा
दावा बाबत स्थायी नि. व तुडवाये जाने अनाधिकृत निर्माण व दिलाये जाने कब्जा
मुकदमा नम्बर 49/13
बनाम
मुसस्मी विमला पुत्री स्व.लालू कुम्हार पत्नि रमेश कुमार कौम कुम्हार साकिन रावण गेट परगना जयपुर (राज.)
चूंकि छीतर खां ने इस अदालत में तारीख...माह...सन् 199 को 1. छीतर खां बनाम 2. लल्लू कुम्हार व अन्य दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि लालू कुम्हार मजबूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी लालू कुम्हार मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है व बजाय उसके आप 3. कायमुकाम बनाये जावें।
लिहाजा नजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1... 12 माह 8 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2024 को जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-प्रस्तुतकार
वरिष्ठ सिविल जज एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि., सांभर लेक जिला जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत वरिष्ठ सिविल जज एवं अपर मुख्य न्यायिक मजि. मुकाम सांभर लेक
छीतर खां बनाम लालू कुम्हार व अन्य
स्थाई निषेधाज्ञा
दावा बाबत स्थायी नि. व तुडवाये जाने अनाधिकृत निर्माण व दिलाये जाने कब्जा
मुकदमा नम्बर 49/13
बनाम
मुसस्मी विमला पुत्री लालू कुम्हार पत्नि गणेश कुमार कौम कुम्हार साकिन छोटा बाजार परगना सांभर लेक
चूंकि छीतर खां ने इस अदालत में तारीख...माह...सन् 199 को 1. छीतर खां बनाम 2. लल्लू कुम्हार व अन्य दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि लालू कुम्हार मजबूर के दरख्वात अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी लालू कुम्हार मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है व बजाय उसके आप 3. कायमुकाम बनाये जावें।
लिहाजा नजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1... 12 माह 8 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2024 को जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-प्रस्तुतकार
वरिष्ठ सिविल जज एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि., सांभर लेक जिला जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. CIS 26/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम मुन्ना शर्मा पुत्र स्व. श्री रामेश्वर शर्मा जाति...विवाद स्थान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एस.एम.ई., एस.पी.एल. ब्रांच
मृतक बचत बैंक खाता एवं एण्ड.डी.आर. की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 07.09.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री स्व. रामेश्वर शर्मा (2) स्व. श्रीमति बिन्दु पत्नि स्व. श्री बाबूलाल शर्मा निवासी 80/365 से 08 प्रताप नगर तह. सांगानेर जिला जयपुर राज. का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 09 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 01 माह 08 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर